



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07022023-243517

CG-MH-E-07022023-243517

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944

No. 72]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 फरवरी, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, भारतीय

प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम अप्रैल, 2023 के पहले दिन से लागू होंगे।

#### **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन**

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, अनुसूची-III में, खंड-III के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

#### **“III. फीस के भुगतान का तरीका**

ऊपर उल्लिखित फीस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के पहले दिन या उससे पहले एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

#### **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन**

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, भाग-ख में, खंड-I के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“I. ऊपर निर्धारित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

#### **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में संशोधन**

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, दूसरी अनुसूची में, खंड-II के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“II. ऊपर खंड-I में उल्लिखित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

#### **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में संशोधन**

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में, दूसरी अनुसूची में, खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“3. ऊपर पैरा 1 और 2 में उल्लिखित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

#### **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में संशोधन**

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में, दूसरी अनुसूची में, भाग-ख में, खंड-I के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“I. ऊपर निर्धारित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में संशोधन****8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्व-विनियामक संगठन) विनियम, 2004 में,**

- I. प्रथम अनुसूची में, प्ररूप-क में, खंड-5 में, शब्द और चिह्न “/ ..... का मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) [सं. .... दिनांक .....] संलग्न है” हट जाएँगे।
- II. दूसरी अनुसूची में, भाग-ख के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

**“भाग-ख**

ऊपर निर्धारित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में संशोधन****9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में, विनियम 4 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्, -**

“(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ, निधि (फंड) में रकम एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से जमा की जाएगी।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन****10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,**

- I. विनियम 10 में, उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(7) उप-विनियम (1) के खंड (क), उप-विनियम (1) के खंड (घ) के उप-खंड (iii), उप-विनियम (1) के खंड (ज), उप-विनियम (2), उप-विनियम (3) तथा उप-विनियम (4) के खंड (ग), उप-विनियम (4) के खंड (क), (ख) एवं (च) के अनुसार दी हुई छूट के अनुसरण में मताधिकारों के किसी अर्जन या मताधिकारों में बढ़ोतरी होने के संबंध में, अर्जनकर्ता (एक्वायरर), अर्जन की तारीख से इक्कीस कार्य-दिवसों के भीतर, अर्जनों के बारे में सभी ब्यौरे देते हुए, बोर्ड के पास यथा निर्धारित फॉर्म (प्ररूप) में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें दी गई जानकारी के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी लगाए जाएँगे, जिनमें अर्जनों के समस्त ब्यौरे दिए हुए हों, और जिसके साथ एक लाख पचास हजार रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

- II. विनियम 11 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(4) यथास्थिति, अर्जनकर्ता (एक्वायरर) या लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी), उप-विनियम (3) में उल्लिखित आवेदन के साथ पाँच लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा करेगी।”

- III. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्नों “प्रारूप प्रस्ताव पत्र (जिसमें ऐसी जानकारी शामिल हो जो निर्धारित की जाए), निम्नलिखित मापमान के अनुसार अप्रतिदेय फीस के साथ दाखिल करेगा, जो या तो बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय बैंकर चेक या मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अदा की जाएगी” के स्थान पर शब्द और चिह्न “प्रारूप प्रस्ताव-पत्र (जिसमें यथा निर्धारित जानकारी दी जाएगी) प्रस्तुत करेगा, और जिसके साथ नीचे सारणी के

अनुसार दी गई अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी" आ जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में संशोधन**

11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, अनुसूची-II में, भाग-ख में, शब्दों और चिह्नों "बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य माध्यम से या "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" को मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) या बैंकर चेक (जो मुंबई में या संबंधित प्रादेशिक कार्यालय में देय हो) के माध्यम" के स्थान पर, शब्द और चिह्न "एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए)" आ जाएँगे।

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में संशोधन**

12. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, दूसरी अनुसूची में, भाग-ख के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

**"भाग-ख**

ऊपर निर्धारित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में संशोधन**

13. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, दूसरी अनुसूची में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"4. पैरा 2 में उल्लिखित फीस का भुगतान आवेदक द्वारा बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से किया जाएगा।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में संशोधन**

14. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, दूसरी अनुसूची में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"4. पैरा 2 में उल्लिखित फीस का भुगतान आवेदक द्वारा बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से किया जाएगा।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन**

15. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अनुसूची-II में, खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"5. ऐसी आवेदन फीस, ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस और दस्तावेज दाखिल किए जाने संबंधी फीस (फाइलिंग फीस) आवेदक / रियल इस्टेट निवेश न्यास द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।"

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन**

16. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, अनुसूची-II में, खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“5. ऐसी आवेदन फीस, ऐसी रजिस्ट्रीकरण फीस और दाखिल किए जाने संबंधी फीस (फाइलिंग फीस) आवेदक या अवसंरचना निवेश न्यास द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन**

17. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,

- I. विनियम 102 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“उप-विनियम (2) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, उसके साथ एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

- II. अनुसूची-XI में, खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“3. फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

**प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में संशोधन**

18. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,

- I. विनियम 11 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(4) उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में उल्लिखित फीस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी, और फीस की रकम जमा कराए जाने की सूचना फीस की गणना के विवरण के साथ भिजवा दी जाएगी।”

- II. अनुसूची-I में, फॉर्म-क में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“4. हम / मैं उपरोक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) की ओर से, एतद्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में दी हुई अपेक्षाओं का तथा ऐसी अन्य शर्तों आदि का पालन करने का वचन देते हैं / देता/देती हूँ, जिनका उल्लेख मान्यता के प्रमाणपत्र में हो या जो बाद में निर्धारित की जाएँ या लगाई जाएँ।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 5 / विनियम 12 में यथा निर्धारित फीस के भुगतान के संबंध में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से किए गए भुगतान का सबूत संलग्न है।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन**

19. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,

- I. विनियम 300 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(3) उप-विनियम (2) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, उसके साथ एक लाख रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस लगाई जाएगी, जो एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”
- II. अनुसूची-III में, खंड (2) में, शब्दों और चिह्नों “बोर्ड के बैंक खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए सीधे जमा करके या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत अन्य किसी माध्यम से या 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में लिखे गए ऐसे मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से पहले से ही फीस अदा की जाएगी जो अनुसूची-IV के अनुसार बोर्ड के कार्यालय स्थान पर जहाँ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज या प्रस्ताव दस्तावेज या अद्यतन किया हुआ प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज, यथास्थिति, दाखिल है, पर देय हो” के स्थान पर शब्द और चिह्न “फीस पहले से ही एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी” आ जाएँगे।

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में संशोधन

20. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, दूसरी अनुसूची में, भाग-ख में, आवेदक या निक्षेपागार द्वारा अदा की जाने वाली फीस के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

“फीस किसके द्वारा अदा की जानी है

भुगतान का तरीका

आवेदक या निक्षेपागार

एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से।”

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में संशोधन

21. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,

- I. विनियम 28 में, उप-विनियम (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-
- “(iii) उप-विनियम (ii) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, कंपनी उसके साथ, पचास हजार रुपये की अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा करेगी।”
- II. अनुसूची-V में, सारणी के बाद दिए गए पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-
- “फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन

22. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-

- I. अनुसूची-II में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“4. पैरा (2) में उल्लिखित फीस विनियम 10 के तहत बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

II. अनुसूची-II में, खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(5) ऊपर पैरा (1) और पैरा (3) में उल्लिखित फीस पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में संशोधन**

23. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,

I. अनुसूची-VI में, खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“2. ऊपर खंड (1) में उल्लिखित फीस एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी।”

II. अनुसूची-VI में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“4. प्रत्येक नामनिर्दिष्ट (डेज़िग्रेटेड) स्टॉक एक्सचेंज ने उपरोक्त खंड (3) के अनुसार एक महीने के दौरान जितनी भी विनियामक फीस (रेग्युलेटरी फीस) ली हो, वह उसे बोर्ड के पास अगले महीने के दसवें दिन से पहले एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिये या ऑन-लाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से जमा करवाएगा, और जिसके साथ उसे उस महीने के दौरान सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई गई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ब्यौरे भी देने होंगे।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./599/2022-23]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 7th February, 2023

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### (PAYMENT OF FEES AND MODE OF PAYMENT) (AMENDMENT)

### REGULATIONS, 2023

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Custodians) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, Securities and Exchange Board of India (Self-Regulatory Organisations) Regulations, 2004, Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange

Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 and Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the first day of April, 2023.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992**

3. in the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, in Schedule III, clause III shall be substituted with the following, namely,-

**“III. Manner of Fees to be paid.**

The fees specified above shall be paid on or before the 1st day of October each year payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/ RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996**

4. in the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, in the Second Schedule, in Part B, clause I shall be substituted with the following, namely,-

“I. The fees specified above shall be payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996**

5. in the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, in the Second Schedule, clause II shall be substituted with the following, namely,-

“II. The fees referred to in clause I above, shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999**

6. in the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Scheme) Regulations, 1999, in the Second Schedule, clause 3 shall be substituted with the following, namely,-

“3. The fees referred to in paragraphs 1 and 2 above, shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000**

7. in the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000, in the Second Schedule, in Part B, clause I shall be substituted with the following, namely,-

“I. The fees specified above shall be payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004**

8. in the Securities and Exchange Board of India (Self Regulatory Organizations) Regulations, 2004,
  - I. In First Schedule, in Form A, in clause 5, the words and symbols “/Demand Draft No....dated for Rs..... is attached” shall be omitted.
  - II. In Second Schedule, Part B shall be substituted with the following, namely,-



**“Part B**

The fees specified above shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009**

9. in the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, in regulation 4, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(2) For the purposes of sub-regulation (1) above, the amounts shall be credited to the Fund through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011**

10. in the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,

- I. in regulation 10, sub-regulation (7) shall be substituted with the following, namely,-

“(7) In respect of any acquisition of or increase in voting rights pursuant to exemption provided for in clause (a) of sub-regulation (1), sub-clause (iii) of clause (d) of sub-regulation (1), clause (h) of sub-regulation (1), sub-regulation (2), sub-regulation (3) and clause (c) of sub-regulation (4), clauses (a), (b) and (f) of sub-regulation (4), the acquirer shall, within twenty-one working days of the date of acquisition, submit a report in such form as may be specified along with supporting documents to the Board giving all details in respect of acquisitions, along with a non-refundable fee of rupees one lakh fifty thousand by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

- II. in regulation 11, sub-regulation (4) shall be substituted with the following, namely,-

“(4) The acquirer or the target company, as the case may be, shall along with the application referred to under sub-regulation (3) pay a non-refundable fee of rupees five lakh, by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

- III. in regulation 16, in sub-regulation (1), the words and symbol “any other mode allowed by RBI or by way of a banker’s cheque or demand draft payable in Mumbai in favour of the Board” shall be substituted with the words and symbol “online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time”.

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011**

11. in the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, in Schedule II, Part B after the words and symbols NEFT/RTGS/IMPS” the words and symbols “or any other mode allowed by RBI or by demand draft or bankers cheque payable to the "Securities and Exchange Board of India" at Mumbai or at the respective regional office.” shall be substituted with “or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012**

12. in the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, in the Second Schedule, PART B shall be substituted with the following, namely,-

**“PART B**

The fees specified above shall be payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013**

13. in the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, in the Second Schedule, clause 4 shall be substituted with the following, namely,-

“4. The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014**

14. in the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, in the Second Schedule, clause 4 shall be substituted with the following, namely,-

“4. The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board by way of by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014**

15. in the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, in Schedule II, clause 5 shall be substituted with the following, namely,-

“5. Such application, registration and filing fees shall be paid by the applicant/REIT by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014**

16. in the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, in Schedule II, clause 5 shall be substituted with the following, namely,-

“5. Such application, registration and filing fees shall be paid by the applicant or InvIT by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

17. in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

- I. in regulation 102, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,-

“The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

- II. in Schedule XI, clause 3 shall be substituted with the following, namely,-

“3. The fees shall be paid by way of direct credit into the bank account of the Board through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018**

18. in the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018,

- I. in regulation 11, sub-regulation (4) shall be substituted with the following, namely,-

“(4) The fee mentioned in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) shall be paid by a recognised stock exchange by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time, and the intimation of remittance shall be forwarded along with the statement of computation of the fee.”

II. In Schedule I, in Form A, clause 4 shall be substituted with the following, namely,-

“4. We/I, on behalf of the said clearing corporation, hereby undertake to comply with the requirements of section 4 of the said Act and such other conditions and terms as may be contained in the certificate of recognition or be provided or imposed subsequently.

Proof of payment by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time, towards payment of fees as specified in regulation 5/ regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, is attached.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018**

19. in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018,

I. in regulation 300, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,-

“(3) The application referred to under sub-regulation (2) shall be accompanied by a non-refundable fee of rupees one lakh payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

II. in Schedule III, in clause (2), the words and symbol “any other mode allowed by RBI or by means of a demand draft drawn in favour of ‘the Securities and Exchange Board of India’ payable at the place of office of the Board, in terms of Schedule IV, where the draft offer document or offer document or updated draft offer document, as the case may be, is filed.” shall be substituted with the words and symbol “online payment using the SEBI payment gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018**

20. in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, in Second Schedule, in Part B, for the fees to be paid by applicant or depository, the following shall be substituted, namely,

“Fees to be paid by	Manner of Payment
Applicant or depository	By way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018**

21. in the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018,

I. in regulation 28, sub-regulation (iii) shall be substituted with the following, namely,-

“(iii)The company shall along with the application referred to under sub-regulation (ii) pay a non-refundable fee of rupees fifty thousand, by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

II. in Schedule-V, in the paragraph appearing after the table, the following shall be substituted, namely,-

“The fees shall be payable by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020**

22. in the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,-

I. in Schedule II, clause (4) shall be substituted with the following, namely,-

“4. The fee referred to in paragraph (2) shall be paid by the portfolio manager within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board under regulation 10 by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

II. in Schedule II, clause (5) shall be substituted with the following, namely,-

“(5) The fees specified in paragraphs (1) and (3) above, shall be payable by the portfolio manager by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

**Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021**

23. in the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021,

I. in Schedule VI, clause 2 shall be substituted with the following, namely,-

“2. The fees as specified in clause (1) above shall be paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time.”

II. in Schedule VI, clause (4) shall be substituted with the following, namely,-

“4. Every designated stock exchange shall remit the regulatory fee collected during the month under clause (3) above to the Board before the tenth day of the subsequent month by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time, along with the details of the securities listed during the month.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./599/2022-23]